

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

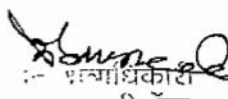
एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

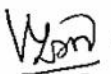
- 1- ईको-क्लास श्रेणी
- 2- हरियाली का घनत्व
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति है०.....
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर वन्युमा वन प्रभाग
बडकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यनूमा वन प्रभाग
बडकोट


उप-प्रभागीय अधिकारी
प्रजापदसबली रेंज
नौगाँव


उप-प्रभागीय अधिकारी
नौगाँव राशि


AE

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खण्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि होने की दशा में बढ़ी हुई धनराशि जमा करने का प्रमाण-पत्र

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यदि एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जायेगी तो याचक विभाग बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को करने हेतु वचनबद्ध है।

सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अधिरासी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

241

(लम्बाई-26.00 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि का आ०सी०सी० पिलरों द्वारा सीमांकन का प्राक्कलन

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

रेंज का नाम -

क्र० सं०	कार्य का विवरण	सं०	ल०	चौ०	ऊ०	मात्रा	दर	धनराशि
1	सर्वे एवं सीमांकन कार्य हेतु सर्वेयर	1 सर्वेयर 6 दिन				6	400.00	2400.00
2	सर्वेयर के साथ सर्वे उपकरण ले जाने एवं फीता व सर्वे पोल पकड़ने हेतु श्रमिक	3 श्रमिक 6 दिन				18	250.00	4500.00
3	साइड तक जाने हेतु टेक्सी किराया	1 टैक्सी 4 दिन				4	2000.00	8000.00
4	पेन्ट रस्सी, चुना एवं स्टेशनरी पर व्यय	एक मुश्त					ल०स०	3000.00
5	आ०सी०सी० पिल्लरों हेतु बुनियाद खुदान	200	0.60	0.60	0.50	36.00	80.00	2880.00
6	आ०सी०सी० पिल्लरों बनाना 1:2:3 सीमेन्ट कंकरीट के साथ	200	0.10	0.08	1.80	2.88	7000.00	20160.00
7	सरिया की कीमत साइड तक दुलान सहित					35.120 कु०	6000.00	210720.00
योग								251660.00

वन दरोगा
(उमेश्वर राव)

वन क्षेत्राधिकारी
गुगारसुन्दी, रेंज

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यन्मू वन प्रभाग
बडकोट

अप प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यन्मू वन प्रभाग
बडकोट

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

लीज अवधि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि वर्षों की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

अधिशाली अभियन्ता
रा० मी० खण्ड, लो० नि० वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

सजस्व अभियन्ता
डायमंड

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

(आर० एम्० असवाल)
सजस्व अभियन्ता नौगांव
तहसील - बड़कोट
जिला - उत्तरकाशी

बलराम बख्शपुर
बड़कोट (उत्तरकाशी)

स. जगदीश (बड़कोट)
जिला - उत्तरकाशी

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

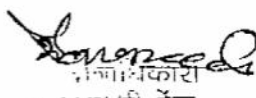
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।


अधिसासी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बडकोट (उत्तरकाशी)

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट


अधीनकारी
म. व. व. रेंज
बौगाँव


अधीनकारी
म. व. व. रेंज
बौगाँव

122

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खण्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का भवन निर्माण आदि नहीं है।

अधिशाली अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बिड़कोट (उत्तरकाशी)

135

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

धार्मिक/पौराणिक/ऐतिहासिक महत्व के स्थल न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित वन भूमि में किसी प्रकार का ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, मन्दिर, मस्जिद, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि स्थित नहीं है।

अधिसासी अभियन्ता
रा०मार्०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

राजस्व उपनिरीक्षक
ग्राम्य
तहसील - बड़कोट, जिला - उत्तरकाशी

वरमन्त्री प्रजस्टेट
बड़कोट (उत्तरकाशी)
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील - बड़कोट (उ. का.)

(आर० एस० अक्षयल) राजस्व उप निरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक नौगांव क्षेत्र
तहसील - बड़कोट जिला - उत्तरकाशी

राजमन्त्री (बड़कोट)
जिला - उत्तरकाशी

प्रति हस्ताक्षर

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

136

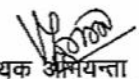
कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

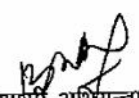
(लम्बाई-26.00 किमी०)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना निर्माण के दौरान प्रस्तावक विभाग के द्वारा वन्य जीवों का रख-रखाव किया जायेगा तथा वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट


अधिसूत्री अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराडी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट


सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट


अधिसूची अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

कार्य का नाम:-

(138)
उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खंड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)
लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण से निम्न प्रकार स्थानीय ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या को लाभ होगा।

क्र०सं०	ग्राम का नाम	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	परिवारों की संख्या
1	रिखाऊ	178	21
2	बड़ोगी	215	25
3	कन्डारी	547	99
4	खमुण्डी	146	24
5	सिगुंजी	498	71
6	पिपियारा	194	33
7	कुंवा	289	51
8	जरड़ा	555	69
9	बिल्लगांव	23	8
10	सौली	214	50
11	धारीबल्ली	265	51
12	नौगांव	2516	592
13	मुगंरा	376	30
14	मुराड़ी	514	65
योग-		6530	1189

कनिष्ठ अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

सहायक अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

अधिशारी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट

कार्य का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित जनपद उत्तरकाशी में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 123 (507) थाथरी खड्ड से मुराड़ी गांव के पूर्व निर्मित मोटर मार्ग के किमी० 75.00 से 101.00 तक के भाग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई-26.00 किमी०)

वन भूमि के मूल्य/वार्षिक लीज रेंट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 6,00,000/- प्रति है० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु 31.86.0 है० वन भूमि का कुल मूल्य रुपये 19,11,60,00,000 होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेंट प्रतिशत की दर से रुपये होता है।


राजेश उपनिरक्षक
हामय

तहसील बड़कोट, जिला उत्तरकाशी

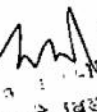
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


(अधीन)


राजेश उपनिरक्षक
क्षेत्र
तहसील बड़कोट (उ.का.)


बड़कोट (उत्तरकाशी)


राजेश उपनिरक्षक
क्षेत्र
तहसील बड़कोट (उ.का.)


बड़कोट (उत्तरकाशी)
जिला उत्तरकाशी

जी.एस.एस.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी